प्रार्थीगण:–

1. अनोपाराम पुत्र श्री भोमाराम
2. कैलाश पुत्र श्री भोमाराम
3. फूलाराम पुत्र श्री भोमाराम
4. भारताराम पुत्र श्री भोमाराम
5. गंवरी देवी पत्नी श्री भोमाराम
6. परमाराम पुत्र श्री शिवाराम

   जाति मेघवाल, निवासी भेड़

   तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण:–

1. भंवरराम पुत्र श्री हरूराम
2. फोजाराम पुत्र श्री बागाराम
3. केहरराम पुत्र श्री बागाराम

   जाति भील निवासी भेड़

   तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।

उपस्थित –

प्रार्थीगण की ओर से – अधिवक्ता श्री चुनाराम गर्ग।

अप्रार्थीगण की ओर से– अधिवक्ता श्री चन्दनसिंह भाटी।

प्रार्थना पत्र बाबत् पत्थर गढ्ढी अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

–::निर्णय::–

दिनांक:– 17/2/21

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned with CamScanner

प्रार्थीगण द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि– तहसील ओसियां के ग्राम भेड़ की सरहद में खेत खसरा नम्बर 800 रकबा 14.2125 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा आई हुई है। उपरोक्त वर्णित भूमि में प्रार्थीगण का शांतिपूर्वक कब्जा काश्त है। उक्त भूमि के चारों तरफ पुराने कणा माठ है जिसके अन्दर प्रार्थीगण काबिज है। प्रार्थीगण अपने खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि की पैमाईश करवाकर चिन्हित स्थान पर पत्थर गढ़ढी करवाना चाहते है। जिसके लिए प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि की दिनांक 18.06.2020 को श्रीमान् तहसीलदार ओसियां से भूमि की पैमाईश करवाने का आदेश प्राप्त कर हल्का पटवारी जी से भूमि की दिनांक 23.07.2020 को पैमाईश करवाई। उक्त पैमाईश के चिन्हित स्थान पर प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि के चारों तरफ पत्थर गड़डी करवाना चाहते है जिसके लिये प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि के उत्तरी सीमा पर अप्रार्थीगण नाजायज तरीके से अतिक्रमण करने की नीयत रखते है तथा प्रार्थीगण को उक्त भूमि के पैमाईश द्वारा बताये कणा माठ पर प्रार्थीगण को पत्थर गढ़ढी नहीं करने देने की धमकियां देते है। प्रार्थीगण अपने खातेदारी भूमि की सुरक्षा हेतु पत्थर गढ़ढी करवाना चाहते है। वक्त पैमाईश अप्रार्थीगण ने विवाद पैदा किया तथा मौके पर शांति भंग करने की चेष्ठा की है इसलिए प्रार्थीगण को पुरा भय व शंका है कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि पर नाजायज अतिक्रमण कर सकते है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम भेड़ के खसरा नम्बर 800 रकबा 14.2125 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पत्थर गड़डी करवाने का आदेश फरमावें एवं एस.एच.ओ. लोहावट को पुलिस इमदाद दिये जाने का आदेश फरमावें ताकि मौके पर शांति व्यवस्था कायम रह सकें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री चन्दनसिंह भाटी ने वकालात नामा पेश किया। अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा कोई जवाब पेश नहीं कर सीधी बहस की गई।

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned with CamScanner

बहस पक्षकारान अधिवक्ताओं की सुनी गई प्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस में बताया कि प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 800 रकबा 14.2125 हैक्टेयर ग्राम भेड़ में स्थित है। जिसमें अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की भूमि की उत्तरी सीमा पर दखलंदाजी करते है तथा मौके पर सीमाओं को लेकर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद है। अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में कहा कि बिना कब्जा हस्तान्तरण किये पत्थर गढी की जाती है तो कोई आपत्ति नहीं हैं। बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया, प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 800 रकबा 14.2125 हैक्टेयर मौजा ग्राम भेड़ तहसील ओसियां, जिला जोधपुर बाबत् टीम गठित की जाकर सीमांकन किया जावें तथा बिना कब्जा हस्तान्तरण किये प्रार्थीगण की उक्त खसरे की भूमि की चारों सीमाओं पर पत्थरगढी की जावें, तथा पत्थरगढी कार्य करते वक्त आवश्यकतानुसार मौके पर शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस थाना लोहावट से आवश्यक पुलिस इमदाद ली जावें। पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 17/2/21 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned with CamScanner